"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पं.–142/पंग्राविवि/22/2012/1082.— छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उप–धारा (1) एवं धारा 53 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) सहपठित धारा 95 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सात दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, (कक्ष क्र. 213) दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा.** – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994);

(ख) शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो अनुसूची–एक के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है;

(ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) **"पंचायत"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत;

(च) **"शिक्षक (पंचायत) संवर्ग"** से अभिप्रेत है, जिला पंचायत या जनपद पंचायत यथास्थिति के नियंत्रणाधीन स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियुक्त व्यक्ति;

(छ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ. 8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इन नियमों में संलग्न अनुसूची;

(झ) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) **"छानबीन समिति"** से अभिप्रेत है, अभ्यर्थियों के आवेदन की छानबीन करने के लिए गठित समिति;

(ठ) **"स्थायी समिति"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित की गई यथास्थिति, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति;

(ड) शब्द तथा अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु जो परिभाषित नहीं हैं उसका वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) में उनके लिये समनुदेशित हैं।

3. **विस्तार तथा लागू होना.** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन.** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहें हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों;

5. **वर्गीकरण तथा वेतनमान.** – सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा:

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.** – (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) मेरिट द्वारा या प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चयन के माध्यम से अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देश के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

~~(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शित हैं।~~

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का प्रतिशत, अनुसूची–तीन के कालम (3) तथा (4) के अनुसार होगा।

(3) सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु पात्रता, अनुसूची–दो में विनिर्दिष्ट शर्तो के अनुसार होगी।

(4) शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रखा जायेगा ।

(5) राज्य शासन के नियमों के अनुसार, महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य वर्गो हेतु पद आरक्षित रखे जायेंगे, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये। विज्ञापन/सूचना की प्रति, जिला रोजगार कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड और महानिदेशक पुनर्वास को भेजने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों हेतु यदि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उपरोक्त पद अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे ।

(6) शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पद– (एक) क्षेत्र में बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में से कम से कम किसी एक समाचार पत्र में विज्ञापित किये जायेंगे।

(दो) स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित किये जायेंगे, और

(तीन) यथास्थिति संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(7) विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन करने हेतु निम्नानुसार छानबीन समिति गठित की जायेगी :–

(क) व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) के आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक समिति होगी जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला शिक्षा अधिकारी तथा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सम्मिलित होंगे।

(ख) सहायक शिक्षक (पंचायत) के आवेदनों की छानबीन हेतु एक समिति होगी जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक सम्मिलित होंगे।

(ग) यदि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, उपलब्ध पदों की संख्या से कम है तो चयन, पात्र अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये चयन, मेरिट के आधार पर किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार नहीं होंगे।

(घ) यदि पात्र अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र, विज्ञापित पदों से अधिक है तो चयन, मेरिट के आधार पर अथवा प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अथवा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश/निर्देश के अनुसार की जायेगी।

(ङ) चयन प्रकिया में, साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा। चयन, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

(च) चयन के लिये परीक्षा की प्रक्रिया– यदि राज्य सरकार उपरोक्त उप–नियम (घ) में यथा उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए (चयन के लिये) कोई आदेश/निर्देश जारी करती है तो ऐसी परीक्षा की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:–

(एक) आवेदन पत्र, विहित प्ररूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(दो) परीक्षा के पूर्व किसी भी प्रकार की छानबीन नहीं की जायेगी। अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे परीक्षा में बैठने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने विहित अर्हता प्राप्त कर ली है।

(तीन) चयन परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तरों के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे।

(चार) परीक्षा की समयावधि दो घण्टे की होगी।

(पॉच) लिखित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। परिणाम के साथ आदर्श उत्तर पत्र भी प्रकाशित किया जायेगा।

(छः) जहां तक संभव हो, परीक्षा एक ही तिथि और समय पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा आयोजन का स्तर (जनपद पंचायत/जिला पंचायत/राज्य) तथा समय सारिणी, राज्य शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(सात) आवेदकों से परीक्षा शुल्क लिया जा सकेगा।

(आठ) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा राज्य शासन के परामर्श से समय–समय पर चयनित किसी प्राधिकारी/किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित की जा सकेगी।

(नौ) चयन सूची, आवश्यक कार्यवाही हेतु (नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु) नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। यदि नियुक्ति प्राधिकारी 15 दिन के भीतर नियुक्ति नहीं करता है तो संबंधित जिला पंचायत/जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

(दस) प्रतीक्षा सूची सहित सम्पूर्ण चयन सूची, परीक्षा परिणाम की घोषणा के पश्चात एक वर्ष के लिये विधिमान्य रहेगी तथा इस अवधि में नये पदों की स्वीकृति या किसी भी कारण से रिक्त हुए पदों की पूर्ति, इस प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी।

(ग्यारह) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रदर्शित की जायेगी।

(बारह) अर्हता प्राप्त तथा अन्य (छूट प्राप्त) अभ्यर्थियों की श्रेणीवार, विषयवार एवं विषय समूहवार मेरिट सूची पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

(तेरह) छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के अधीन राज्य शासन द्वारा विहित किये गये रोस्टर तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा यथास्थिति संधारित रोस्टर के आधार पर तैयार की गई चयन सूची से नियुक्ति की जायेगी।

(8) जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा चयन तथा नियुक्ति का कार्य, सामान्यतः ग्रीष्मावकाश के दौरान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा।

7. **अनुकम्पा नियुक्ति.**– नियम 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के ऐसे अतिरिक्त पद स्वीकृत कर सकेगी जैसा कि वह ठीक समझे। पात्र अभ्यर्थियों को कलेक्टर की सिफारिश के पश्चात अनुकंपा के आधारों पर नियुक्त कर सकेगी।

8. **परिवीक्षा.**– शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पद पर, सीधी भर्ती से चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी, स्कूल विशेष में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में नियुक्ति प्राधिकारी शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य का आकलन करेगा।

दो वर्ष की परिवीक्षा कालावधि पश्चात् पंचायत, शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सकेगी। यदि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् बढ़ाई गई कालावधि के अंत में उनके कार्य का आंकलन किया जायेगा। यदि फिर भी उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी:

परन्तु शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

9. **पदोन्नति.**– **(1)** अनुसूची–चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति की जायेगी।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तन सहित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

10. **अनुशासन व नियंत्रण.**— शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी, यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे। दीर्घशास्ति के लिए यथास्थिति, जिला पंचायत या जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति तथा लघु शास्ति के लिए संबंधित पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी होंगे।

11. **सेवा की समाप्ति.**— शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी की सेवायें, या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी को अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक मास की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक मास के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

12. **सामान्य सेवा की शर्तें.**— ऊपर वर्णित शर्तों से भिन्न सेवा की शर्तें, यथास्थिति, जिला पंचायत अथवा जनपद पंचायत के अन्य कर्मचारियों पर यथा लागू शर्तों के समान होंगी।

13. **अपील.**— इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश की अपील, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगी ।

14. **निर्वचन.**— इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

15. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामलें में जिसको ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, सीमित या कम करती हैं :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

16. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 2 (ख) देखिये)

स. क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्याख्याता (पंचायत)	5300—150—8300	जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति
2.	शिक्षक (पंचायत)	4500—125—7000	जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति
3.	सहायक शिक्षक (पंचायत)	3800—100—5800	जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति

टीप :— 1. प्रत्येक शाला के लिये शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या, यथास्थिति, उनके जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अवधारित किया जायेगा।

2. राज्य सरकार, प्रमाणित प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रत्येक पंचायत के लिए शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के पदों को समय—समय पर अनुमोदित करेगी।

अनुसूची–दो

(नियम 6 (3) देखिये)

स.क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	व्याख्याता (पंचायत)	21 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।	जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ।
2.	शिक्षक (पंचायत)	21 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।	–तदैव–
(क)	शिक्षक (पंचायत) उद्योग	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उद्योग विषय में डिग्री/डिप्लोमा तथा शिक्षण (शिक्षा विज्ञान) में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) ।	–तदैव–
(ख)	शिक्षक (पंचायत) संगीत	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संगीत विषय में डिग्री/डिप्लोमा तथा शिक्षण (शिक्षा विज्ञान) में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) ।	–तदैव–
(ग)	शिक्षक (पंचायत) (शारीरिक शिक्षा)	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा विषय में डिग्री/डिप्लोमा।	–तदैव–
(घ)	शिक्षक (पंचायत) तबला	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ तबला विषय में डिग्री/डिप्लोमा तथा शिक्षण (शिक्षा विज्ञान) में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) ।	–तदैव–
3.	सहायक शिक्षक (पंचायत)	18 वर्ष	35 वर्ष	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार।	जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ।

(क)	सहायक शिक्षक (पंचायत) विज्ञान / प्रयोगशाला	18 वर्ष	35 वर्ष	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ विज्ञान विषय में उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) ।	–तदैव–
(ख)	सहायक शिक्षक (पंचायत) उर्दू	18 वर्ष	35 वर्ष	उर्दू विषय के साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा एवं जामिया–उर्दू–अलीगढ़ से अदीब–ए–माहिर प्रमाण–पत्र एवं प्रारम्भिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो) तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।	–तदैव–
(ग)	सहायक शिक्षक (पंचायत) (व्यायाम शिक्षक)	18 वर्ष	35 वर्ष	50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र परीक्षा तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा का प्रमाण–पत्र।	–तदैव–

टीप :–(1) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए समय–समय पर आयु सीमा के संबंध में प्रदान की गई सभी प्रकार की छूट शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के लिए भी लागू होगी।

(2) राज्य शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की नियुक्ति के लिए दी गई प्राथमिकताएं भी लागू होंगी।

(3) सहायक शिक्षक (पंचायत) के मामले में किसी भी जनपद पंचायत के स्वीकृत पदों में से कम से कम 30 प्रतिशत पद विज्ञान संकाय से भरे जायेंगे।

(4) जीव विज्ञान के लिये बॉटनी या जुलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि स्वीकार होगी।

(5) व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता में उल्लिखित समकक्षता के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट में दर्शित है।

(6) शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों की मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात् 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.एड./डी.एड. में प्राप्त अंकों के आधार पर अधिमान्यता दी जाएगी: –

(एक) सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, डी.एड./बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक।

(दो) शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति के लिए 12वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक, बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 15 अंक।

(तीन) व्याख्याता (पंचायत) की नियुक्ति के लिए स्नातक में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 20 अंक, स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 50 अंक तथा बी.एड. में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर 30 अंक,

अनुसूची–तीन

[देखिए नियम 6 (2)]

स. क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
		सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्याख्याता (पंचायत)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	शिक्षक (पंचायत)	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	सहायक शिक्षक (पंचायत)	100 प्रतिशत	–

टीप – (1) शालाओं में आवश्यकतानुसार शिक्षक (पंचायत) संवर्ग की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का आकलन तथा प्रमाणीकरण यथास्थिति उप संचालक शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा किया जाएगा।

(2) नियमानुसार यदि पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो पदोन्नति के पद भी सीधी भर्ती से भी भरे जायेंगे। तथापि, यदि अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता प्राप्त कर लेता है तो उन्हें संबंधित विषय अथवा विशेष संकाय के कुल स्वीकृत पदों के पचास प्रतिशत तक पदोन्नति दी जायेगी। उनके लिये सुपरन्यूमरेरी पद स्वीकृत माने जायेंगे तथा जिस पद से पदोन्नति हुई है वह पद उनकी पदोन्नति के बाद सुपरन्यूमरेरी पद से नियमित स्वीकृत पद पर समायोजन तक रिक्त रखा जायेगा। सुपरन्यूमरेरी पदों को भविष्य में रिक्त होने वाले पदोन्नति के पदों के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

अनुसूची—चार

(देखिए नियम 9)

स. क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये अर्हता तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शिक्षक (पंचायत)	व्याख्याता (पंचायत)	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा उस पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव।	जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति
2	सहायक शिक्षक (पंचायत)	शिक्षक (पंचायत)	संलग्न परिशिष्ट के अनुसार शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा उस पद पर न्यूनतम 7 वर्ष का अध्यापन का अनुभव।	जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति

परिशिष्ट

व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत)
हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता तथा
समकक्षता के संबंध में विवरण

[अ] व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :-

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उापधि।

क.	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	हिन्दी	हिन्दी
3	भौतिकी	भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड भौतिकी/न्यूक्लियर भौतिकी
4	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री
5	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र/एप्लाइड अर्थशास्त्र/बिजनेस अर्थशास्त्र
6	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य/कास्ट एकाउटिंग/ फाइनेन्सियल एकाउन्टेंसी एक मुख्य विषय हो।
7	गणित	गणित/एप्लाइड गणित
8	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र/प्राणीशास्त्र/मानविकी (लाइफसाइन्स)/जैविकी/ अनुवांशिकी (जेनेटिक्स)/सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायालॉजी)/जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी)/आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी)/पादप कार्यिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय रहा हो।
9	इतिहास	इतिहास
10	भूगोल	भूगोल
11	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
12	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान

13	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
14	कृषि	कृषि
15	व्यावसायिक गणित	व्यावसायिक गणित
16	कम्प्यूटर साईंस	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी) या बी.ई./बी.टेक. (किसी भी ब्रांच से) कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में या एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर डिग्री ।
17	इतिहास	इतिहास/भारतीय प्राचीन इतिहास
18	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन
19	संस्कृत	एम.ए. संस्कृत/एम.ए. (क्लासिक्स)/संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि
20	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
21	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
22	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान

[ब] <u>शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :–</u>

<u>शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता</u> – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो :–

(क) स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशंत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए. एड./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

(ग) **उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे :–**

स.क.	विषय	विषय समूह
(1)	(2)	(3)
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय – इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा।
4	विज्ञान	रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.।
5	रसायन	रसायन/बायोकेमेस्ट्री/ इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.।
6	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में आचार्य स्नातक उपाधि।
7	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय– भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान एवं भू–गर्भ विज्ञान। **अथवा**

		इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.।
8	लाईब्रेरियन	लाईब्रेरी साईस में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाईब्रेरी साईस में एक वर्षीय डिप्लोमा।

[स] सहायक शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :–

(एक) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और कियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये दिशा–निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण ।

टीप – 1. **आरक्षण नीति** :– आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हित अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता** :– यदि सहायक शिक्षक (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी :–

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो). ।

(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा विज्ञान में एकवर्षीय उपाधि ।

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप, नियुक्त शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी।

3. **अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में न्यूनतम प्राप्त अंक :–**

(क) उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवी में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आंठवी में अध्यापन के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक/पं.–142/पंग्राविवि/22/2012/1083.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण मे इस विभाग की अधिसूचना क्रमाक/पचा.–142/पंग्राविवि./22/2012/1082, दिनांक 30–07–2012 से संबंधित अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव

Raipur, the 30th July 2012

NOTIFICATION

No./P-142/PGVV/22/2012/1082.— The following draft of the Chhattisgarh Teacher (Panchayat) Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, which the State Government, proposes to makes in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 70 and clause (b) of sub-section (1) of Section 53 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of seven days from the date of publication of this notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Joint Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, (Room No. 213), shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Teacher [Panchayat] Cadre [Recruitment and Conditions of Service] Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**– (1) In these rules, unless the context otherwise requires,–
   (a) "Act" means the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994);

   (b) Appointing Authority" in respect of teacher [Panchayat] Cadre means such authority as specified in column (4) of Schedule -I;

   (c) "Examination" means competitive examination held for recruitment to the service;

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "Panchayat" means Zila Panchayat, Janpad Panchayat or Gram Panchayat, as the case may be, constituted under the Act;

   (f) "Teacher [Panchayat] Cadre" means person appointed for teaching in schools under control of Zila Panchayat or Janpad Panchayat;

   (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules ;

(i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Screening Committee" means a Committee constituted for screening (scrutiny) of application of the candidates;

(l) "Standing Committee" means an education committee of Zila Panchayat, Janpad Panchayat or Gram Panchayat, as the case may be, constituted under the Act ;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall carry the same meaning as have been assigned to them in the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam,1993 (No.1 of 1994).

3. **Scope and application.** – Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.**– The service shall consist of the following persons, namely:-
   (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in Schedule-I;
   (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
   (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification and scale of pay.**– The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**- (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

(a) Direct recruitment through selection by merit or by competitive examination or as per order/instruction issued by the Government from time to time.

(b) By promotion of the members of the service as shown in column (2) of Schedule-IV.

(c) By transfer of persons, who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The percentage of direct recruitment and promotions shall be according to column (3) and (4) of Schedule-III.

(3) The eligibility for direct recruitment and promotion shall be according to the conditions specified in Schedule-II.

(4) For direct recruitment of Teachers (Panchayat) cadre, the posts shall be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(5) As per the rules of the State Government, posts shall be reserved for women, disabled persons, Ex-Servicemen and such other categories as specified by the Government from time to time. After sending the copy of advertisement/information to District Employment Office, District Servicemen Welfare Board and Director General of rehabilitation for the reserved post of Ex-Servicemen, if suitable candidates are not available then above posts shall be filled up by the candidates of other category.

(6) Posts of Teachers (Panchayat) cadre shall be - (i) advertised in atleast one of the daily news paper widely circulated in the area.

(ii) notified in local employment office, and

(iii) displayed on the notifice board of concerned Zila Panchayat/ Janpad Panchayat, as the case may be.

(7) The following screening committee shall be constituted for the scrutiny of the application forms received in the prescribed proforma:-

(a) For the scrutiny of the applications of Lecturer (Panchayat) and Teacher (Panchayat) a committee consisting of the Chief Executive Officer, Joint/Deputy Director of Panchayat and Social Welfare, District Education Officer and Assistant Commissioner of Tribal Development.

(b) For the scrutiny of the applications of Assistant Teacher (Panchayat) a committee consisting of the Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Block Education Officer and Panchayat and Social Education organizer.

(c) If the applications received from the eligible candidates for the posts of Teacher (Panchayat) cadre are less than the number of available posts then the selection shall be made on the basis of marks obtained by the eligible candidates. For this the selection shall be made on the basis of merit and there shall be no written examination and interview for these candidates.

(d) If the applications received from the eligible candidates are more than the advertised posts then the selection shall be made on the basis of merit or by competitive examination or as per order/instruction issued by the State Government.

(e) There shall be no interview in selection process. The selection shall be made on the basis of marks obtained in written examination.

(f) Procedure of examination for selection - If the State Government issues any order / instruction for competitive examination (for selection) as mentioned in sub-rule (d) above then the procedure for such examination shall be as follows:-

(i) Applications shall be submitted in the prescribed form.

(ii) Prior to examination no scrutiny shall be done. It shall be the responsibility of the candidates before appearing in the examination to ascertain that they possess the prescribed qualification.

(iii) Selection examination shall consist of objective questions of 100 marks. Four alternative answers to each question shall be given.

(iv) Examination shall be of two hours duration.

(v) The result of the written examination shall be published. Model answers shall also be published with result.

(vi) Examination shall be conducted on the same date and time, as far as possible. Standard for conducting examination (Janpad Panchayat/Zila Panchayat/State) and time table shall be determined by the State Government.

(vii) Examination fee may be taken from applicants.

(viii) Examination may be conducted by any Authority/any other institution selected by the Appointing Authority with the approval of State Government, from time to time.

(ix) Selection list shall be submitted to Appointing Authority for necessary action (for issue of appointment orders). If the appointments are not made within 15 days by the Appointing Authority then the action for appointment shall be taken by the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat/Janpad Panchayat.

(x) The entire selection list together with the waiting list shall be valid for one year after the declaration of the examination result and new posts sanctioned or posts lying vacant because of any reason during this period may be filled by this waiting list.

(xi) The merit list of grade wise candidates shall be displayed on the notice board of Zila Panchayat or Janpad Panchayat by the Appointing Authority.

(xii) The merit list shall be published seperately grade wise, subject wise and subject group wise of the qualified candidates and other (exempted/relaxed) candidates.

(xiii) The appointment shall be made from the select list on the basis of roster prescribed by the State Government under the Chhattisgarh Lok Seva (Aunsuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the

roster maintained by Zila Panchayat and Janpad Panchayat, as the case may be.

(8) In general the work of selection and appointment shall be completed by Zila Panchayat or Janpad Panchayat, during the summer vacation before beginning of academic session.

7. **Compassionate Appointment.**- Notwithstanding anything contained in rule 5, the State Government may sanction additional posts of Teacher (Panchayat) cadre as it deem fit. Eligible candidates may be given appointment on compassionate ground after the recommendation of the Collector.

8. **Probation.**- Every candidate selected to the post of Teacher (Panchayat) cadre by direct recruitment shall be appointed in a particular school for a period of two years on probation which may be extended up to 5 years. At the end of every year Appointing Authority shall assess the work of Teacher (Panchayat) cadre.

After the probation period of two years, on the basis of conduct and work of Teacher (Panchayat) cadre, the Panchayat may terminate the probation period. In case the work of Teacher (Panchayat) cadre is not found satisfactory then the probation period may be extended from one to three years. Thereafter their work shall be assessed after the end of the extended period. If there services are not found satisfactory their services shall be terminated:

Provided that the appointed Teacher (Panchayat) cadre shall be entitled for increments only after the completion of probation period.

9. **Promotion.**- (1) Promotion shall be made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(2) The provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003 with necessary changes shall be applicable for the promotion of the Teacher (Panchayat) cadre.

10. **Discipline and Control.**- The Teacher (Panchayat) cadre shall be under the administrative control of Zila Panchat or Janpad Panchayat, as the case may be. The general administrative standing committee of Zila panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be, shall be the disciplinary authority for major punishment and for minor punishment the Chief Executive Officer of concerned Panchayat shall be the disciplinary authority.

11. **Termination of Service.**- Services of the Teacher (Panchayat) cadre may be terminated at any time either by giving one month notice in writing by the employee to the appointing authority or by appointing authority to Teacher (Panchayat) cadre or by depositing one month salary by the employee.

12. **General Conditions of Service.**- Conditions of service other than mentioned above shall be the same as applicable to other employees of Zila Panchayat or Janpad Panchayat, as the case may be.

13. **Appeal.**- Any order passed under these rules shall be appealed in accordance with the provisions of the Act.

14. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

15. **Relaxation.**– Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that any case shall not be dealt in within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16. **Repeal and Saving**. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

[See rule 2 (b)]

S.No.	Teacher (Panchayat) Cadre	Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lec Lecturer (Panchayat)	5300-150-8300	General Administration Committee of Zila Panchayat
2.	TeaTeacher (Panchayat)	4500-125-7000	General Administration Committee of Zila Panchayat
3.	A Assistant Teacher (Panchayat)	3800-100-5800	General Administration Committee of Zila Panchayat

NOTE: -

1. Number of posts of different grades of Teacher [Panchayat] cadre for each school shall be determined by their District Education Officer or by the Assistant Commissioner, Tribal Department, as the case may be.

2. On receipt of certified proposals, the State Government shall approve posts of Teacher [Panchayat] cadres for each Panchayat, from time to time.

SCHEDULE - II
[See rule 6 (3)]

S.No.	Teacher (Panchayat) Cadre	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Educational Qualification	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Lecturer (Panchayat)	21 year	35 year	As per enclosed Annexure	Chief Executive officer of Zila Panchayat by Approval of General Administration committee of Zila Panchayat
2.	Teacher (Panchayat)	21 year	35 year	As per enclosed Annexure	--do--
(a)	Teacher (Panchayat) Industry	21 year	35 year	Degree/Diploma in Industry subject with minimum of 50% marks from any recognized University and one year graduation (B.Ed.) in education	--do--
(b)	Teacher (Panchayat) Music	21 year	35 year	Degree/Diploma in music subject with minimum of 50% marks from any recognized University and one year graduation (B.Ed.) in education	--do--
(c)	Teacher (Panchayat) Physical Education	21 year	35 year	Degree/Diploma in Physical education subject with minimum of 50% marks from any recognized University	--do--
(d)	Teacher (Panchayat) Tabla	21 year	35 year	Degree/Diploma in Tabla subject with minimum of 50% marks from any recognized University and one year graduation (B.Ed.) in education	--do--

3.	Assistant Teacher (Panchayat)	18 year	35 year	As per enclosed Annexure	Chief Executive officer of Janpad Panchayat by Approval of General Administration committee of Janpad Panchayat
(a)	Assistant Teacher (Panchayat) {Science/laboratory}	18 year	35 year	Higher Secondary in Science subject with minimum of 50% marks (or it's equivalent) and two year's Diploma in primary education Science (to whom so ever named it called)	--do--
(b)	Assistant Teacher (Panchayat)Urdu	18 year	35 year	Higher Secondary certificate exam with minimum of 50% marks with subject of Urdu or Higher Secondary certificate exam with minimum of 50% marks and Adeeb-E-Mahir certificate from Jamia-Urdu-Aligarh and two year's Diploma in primary education Science (to whom so ever named it called) and teacher eligibility test (T.E.T) passed	--do--
(c)	Assistant Teacher (Panchayat) (P.T.teacher)	18 year	35 year	Higher Secondary certificate exam with minimum of 50% marks and a Certificate of physical education from any recognized Institute	--do--

Note:- (1) All kinds of relaxation provide by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time for appointment in government service regarding to age limit shall also be applicable for teacher(Panchayat) cadre.

(2) Preferences given by State Government for appointment to Special Backward Tribes shall also be applicable.

(3) There shall be fill up atleast 30% post by science faculty from sanctioned post of anyone Janpad Panchayat in the case of Assistant teacher(Panchayat).

(4) Post Graduate degree in Botany or Zoology shall be accepted for Biology.

(5) For appointment of lecturer (Panchayat) and teacher (Panchayat) detail particular in respect of equivalency mentioned in prescribed educational qualification are shown in annexure.

(6) Educational qualification of the applicant for direct recruitment on merit basis of teacher (Panchayat) cadre employees i.e. basis of marks obtained in 10th, 12th, Graduation, Post Graduation and B.Ed. / D.Ed. shall be given preference:-

[i] - For appointment of assistant teacher (Panchayat), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 10th, 50 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 15 marks of the percentage of marks obtained in B.Ed. /D.Ed. and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T.

[ii] – For appointment of teacher (Panchayat), 20 marks on the percentage of marks obtained in class 12th, 50 marks on the percentage of marks obtained in graduation, 15 marks on the percentage of marks obtained in B.Ed. and 15 marks on the percentage of marks obtained in T.E.T.

[iii] – For appointment of lecturer (Panchayat), 20 marks on the percentage of marks obtained in Graduation, 50 marks on the percentage of marks obtained in Post Graduation and 30 marks on the percentage of marks obtained in B.Ed.

SCHEDULE - III
[See rule 6 (2)]

Serial No.	Teacher (Panchayat) Cadre	Percentage of the number of posts to be filed in	
		By direct recruitment	By promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lecturer (Panchayat)	50 Percent	50 Percent
2.	Teacher (Panchayat)	50 Percent	50 Percent
3.	Assistant. Teacher (Panchayat)	100 Percent	–

Note –

(1) The posts filled up by direct recruitment and promotion of the teacher [Panchayat] cadre in the School, as may be necessary, shall be valued and certified by the Deputy Director Education or Assistant Commissioner, Tribal Development, as the case may be.

(2) As per rule If the candidate is not available for promotion then the posts of the promotion shall also be filled up by direct recruitment, however, If candidate attaines the required qualification for promotion then they shall be given promotion upto 50 percent of sanction posts in related subject and special faculty. Super numerary posts shall be sanctioned for them and promoted from which post, after promotion that post shall be vacant for adjustment to regular sanctioned post from super numerary posts. Super numerary posts shall be adjusted against the posts of promotion to be vacant in future.

SCHEDULE - IV

[See rule - 9]

Serial No.	Name of posts from which promotion is to be made.	Name of posts on which promotion is to be made.	Eligibility and experience for promotion	Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Teacher (Panchayat)	Lecturer (Panchayat)	Minimum required educational Qualification for lecturer (Panchayat) as per enclosed Annexure and experience of teaching minimum 7 year's on the same post	General Administration Committee of Zila Panchayat
2.	Assistant. Teacher (Panchayat)	Teacher (Panchayat)	Minimum required educational Qualification for Teacher (Panchayat) as per enclosed Annexure and experience of teaching minimum 7 year's on the same post	General Administration Committee of Zila Panchayat

Annexure

Prescribed Educational Qualification for Lecturer (Panchayat), Teacher (Panchayat) and Assistant Teacher (Panchayat) and particular about Equivalency

[A] Minimum Eligibility for Lecturer (Panchayat) :--

Educational and professional Eligibility:-- Post graduate Degree in any one subject from following subjects in second division from any recognized University/ Institute and degree of B.Ed.

S.No.	Subject	Group of Subject
1.	English	English
2.	Hindi	Hindi
3.	Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/ Nuclear Physics
4.	Chemistry	Chemistry/ Bio Chemistry
5.	Economics	Economics/ Applied Economics/ Business Economics
6.	Commerce	One main subject Commerce/ Cost Accounting/ Financial Accountancy with Accountancy
7.	Mathematics	Mathematics/Applied Mathematics
8.	Biology	Botany/Zoology/Humanity (life Science)/ Biology/ Genetic/Micro Biology/Bio-technology/Molecular Biology/ Plant Physiology and zoology and Botany subject in graduation level.
9.	History	History
10.	Geography	Geography
11.	Sociology	Sociology
12.	Psychology	Psychology

13.	Home Science	Home Science
14.	Agriculture	Agriculture
15.	Professional Mathematics	Professional Mathematics
16.	Computer Science	Passed with minimum of 50% marks in the subject of B.E./B.Tech. (Computer Science/Information Technology) or B.E./B.Tech. (From any Branch) from any recognized University and Post Graduate Degree in Computer or M.sc. (Computer Science/Master of Computer Application) from recognized University
17.	History	History/Indian Ancient History
18.	Political Science	Political Science/Public Administration
19.	Sanskrit	M.A. (Sanskrit)/ M.A. (Classics)/Post Graduate Degree (Acharya) in Sanskrit
20.	Sociology	Sociology
21.	Psychology	Psychology
22.	Home Science	Home Science

(B) Minimum qualification for teacher (Panchayat) :-

Educational and professional qualification - following qualification from any recognized university / institution : -

(a) Graduation and two years diploma in elementary education (by whatever known)

OR

Graduation with minimum 50% marks and one year bachelor in education science (B.Ed.)

OR

Graduation with minimum 45% marks and 1 year bachelor in education (B.Ed.), which should be in accordance with the NCTE (Recognition, norms and procedure) Regulation issued in this regard, from time to time.

OR

Higher secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and 4 years bachelor in elementary education science (B.EL.Ed.)

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and 4 years B.A..Ed./ B.Sc.Ed. or B.A.Ed./B..Sc. Ed.

OR

Graduation with minimum 50% marks and 1 year B.Ed. (special education).

And

(b)- Pass in teacher eligibility test (TET) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines issued by the NCTE for this purpose.

(c) Graduation subjects in above graduation degree shall be as follows:-

S. No.	Subject	Subject Group
(1)	(2)	(3)
1.	English	English literature will be a subject on graduation level
2.	Hindi	Hindi literature will be a subject on graduation level
3.	Social Science	Any two subject – History, Geography, Economics and political Science, any one of them, subject geography or history will be compulsory
4.	Science	Chemistry , Botany, Zoology, Military Science and Geology, Graduation in Engineering Subject as B.E./B. Tech.
5.	Chemistry	Chemistry / Biochemistry/ Graduation in Engineering Subject as B.E./B. Tech.
6.	Sanskrit	Sanskrit literature will be a subject on graduation level or BA (Classics) and Shastri graduation degree in Sanskrit
7.	Mathematics	Any two subject from following with mathematics – Physics/Chemistry/Electronics/Computer Science/Statistics, Military Science and Geology Or Graduation in Engineering Subject as B.E./B. Tech.
8.	Librarian	Degree in library science or graduate and one year diploma in library science from any recognized institute.

(C) Minimum qualification for Assistant [Teacher] Panchayat :-

(i) Higher Secondary (Or its equivalent) with minimum 50% marks and two years diploma in elementary education (by whatever name known)

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 45% marks and 2 years diploma in elementary education (by whatever name known) which shall be in accordance with NCTE (Recognition, norms and procedure) Regulation, 2002.

OR

Higher secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks.

OR

Higher Secondary (or its equivalent) with minimum 50% marks and 2 years diploma in education (special education)

OR

Two years diploma in elementary education (by whatever name known)

AND

(ii) Passed in the teachers eligibility test (TET) to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines issued by the NCTE for the purpose.

Note – 1. Reservation Policy : –

Relaxation up to 5% in the qualification marks shall be given to the candidates belonging to reserved categories such as SC/ST/OBC/PH.

2. **Relaxation in minimum Educations Qualification** :- If in the appointment of Assistant teacher (Panchayat) and teacher (Panchayat) D.Ed. and B.Ed. holder candidates are not available then the following relaxation will be given:-

(A) For appointment to teach in Class I to VIII, two year diploma in Elementary Education Science (by whatever name known).

(B) For appointment to teach in class VI to VIII, one year degree in education science.

Above relaxation will be effective up to 31st March 2014. Due to such relaxation, appointed teachers (Panchayat) Cadre employees has to gain minimum qualification within two years of their appointment.

3. Minimum marks obtained in TET :-

(A) Higher Secondary or equivalent the applicants should get minimum 60% marks to teach classes I to class VI.

(B) Graduate applicants should get minimum 60% marks to teach class VI to class VIII.

(C) For SC/ST/OBC/PH applicants of Higher Secondary (or equivalent) and graduate candidate should get minimum 50% marks.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.